# न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 22/2017

1. रामलाल पुत्र किशनलाल जाट, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. तुलसीराम पुत्र किशनलाल जाट, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. रामूलाल पुत्र किशनलाल जाट, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

( राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 09.10.2017 नायब तहसीलदार, चाकसू जिला–जयपुर बमिसल संख्या 15/2017 उनवानी सरकार बनाम रामलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 )

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

**निर्णय** दिनांकः 31.07.2019

नायब तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 09.10.2017 द्वारा अपीलान्ट् रामलाल, रामूलाल, तुलसीराम पुत्र श्री किशना, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 1231 कुल रकबा 2 बिस्वा किस्म जमीन बारानी दोयम पर जौत लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट्स को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.16 का 50 गुणा राशि रू0 8/–शास्ति

Scanned by CamScanner

आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेसपोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री विजय कुमार शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 09.10.2017 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट्स को विधिवत पृथक–पृथक सुनवाई साक्ष्य हेतु नोटिस दिया है और न ही समुचित अवसर प्रदान किया है इसके बावजूद भी संयुक्त नोटिस रामलाल के द्वारा प्राप्त किये जाने पर अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हुऐ हैं और अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट्स–गैरसायलान ने ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन दावे की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है और यह कथन कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी के साबिका खसरा नं0 327 थे जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स–गैरसायल है। साबिका खसरा नं0 327 से ही नये आराजी खसरा नं0 1230 व 1231 आदि बने हैं जो सेटलमेन्ट् विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी वैद्य आदेश के अवैद्य रूप सें सिवायचक दर्ज की है जो विधि–विरूद्ध होने से अवैद्य है और इस अवैद्य कार्यवाही के विरूद्ध अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा दावा बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इसमें तहसीलदार, चाकसू को पक्षकार संस्थित किया हुआ है। इसके बावजूद भी तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आज्ञा विधि–विरूद्ध पारित की है जो अवैद्य होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को जारी रखते हुऐ यह भी कथन किया की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 09.10.2017 जारी किये जाने से पूर्व ही नियमित दावे में दिनांक 13.06.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चाकसू भी पाबन्द थे किन्तु तथ्यों के परे व राजनैतिक दबाव में अपीलान्ट्स के विरूद्ध विधि–विरूद्ध आज्ञा

Scanned by CamScanner

पारित की है जो अवैद्य होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स को पूर्ण अन्देशा है कि अपीलाधीन आज्ञा की आड में वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया जायेगा। जिससे अपीलान्ट्स को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा और मूल दावे में अवैद्य रूप से विपरीत प्रभाव पडेगा। अपीलान्ट्स की खातेदारी का रकबा उनको बिना सुने अपना पक्ष रखे बिना, कम नहीं किया जा सकता है न ही उसका स्वरूप बदला जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.10.2017 निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर पारित की गई हैं। अपीलान्ट्स–गैरसायलान को विधिवत नोटिस जारी किया गया है नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ हैं, जवाब पेश किया गया है समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात ही न्याय–संगत निर्णय पारित किया गया है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसका अधिकार मात्र तहसीलदार को ही है। अपीलान्ट्स द्वारा किया गया कब्जा अवैद्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.10. 2017 यथावत रखी जाने के आदेश फरमावें।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतः अपीलान्ट्स–गैरसायलान को जो प्ररूप ''क'' में जो नोटिस जारी किया गया है वह संयुक्त नोटिस है नियमानुसार पृथक–पृथक नोटिस जारी किया जाना वांछित है। नोटिस की पालना में अपीलान्ट्स–गैरसायल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ हैं और जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु प्रस्तुत किये गये जवाब के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीरता से परीक्षण नहीं किया गया है। मात्र यह अंकित किया जाना की अपीलान्ट्स के जवाब के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है लेकिन किसी प्रकार स्थगन नहीं है, अंकित किया जाना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को तथ्यों के परिपेक्ष्य में विधिक दृष्टिकोण के आधार पर परीक्षण कर पूर्ण समालोचनात्मक निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जाना दृष्टिगोचर होता है। अधीनस्थ

Scanned by CamScanner

न्यायालय तहसीलदार, चाकसू की आज्ञा दिनांक 09.10.2017 स्पीकिंग आज्ञा नहीं हैं। प्रकरण के तथ्यों की जांच कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व मौके की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता हैं। यह स्पष्ट जाहिर हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को नियमानुसार न तो पृथक-पृथक नोटिस जारी किया हैं और न ही अपीलान्ट्स-अप्रार्थीगण (रामलाल को छोड़कर) को नोटिस की तामील हुई हैं। अप्रार्थीगण को बिना साक्ष्य सबूत का नोटिस/अवसर दिये बिना व अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बिना गौर किये एकतरफा निर्णय पारित किया गया हैं, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। अतः उक्त विवेचानानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.10.2017 निरस्त की जाती हैं और प्रकरण तहसीलदार, चाकसू को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि अपीलान्ट्स को नियमानुसार पृथक-पृथक नोटिस जारी कर सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner